<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक</u>

<u>कांगड़ा स्थित धर्मशाला,जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ।</u>

क्रमांक - 347/RTI/17-108261 / दिनांक- 29.9.17

प्रेषित

Sh. Sushil Kambampati,
White Rann Content & Service,
KGCK6VCA-HP 6th Floor,
JMD Regent Square,MG Road,
Gurgaon-122002.

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु ।

कृप्या, आपका आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 08-09-2017 को प्राप्त हुआ है। आपके आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना प्रभारी पुलिस थाना मैक्लोडगंज, प्रभारी पुलिस थाना शाहपुर, प्रभारी पुलिस थाना धर्मशाला, व प्रभारी महिला थाना धर्मशाला द्वारा उपलब्ध करवाई गई जो निम्न हैः-

क्रम सं. 1. के सन्दर्भ में थाना धर्मशाला द्वारा 413, थाना मैक्लोडगंज द्वारा 595, थाना शाहपुर द्वारा 313, चालान वर्ष 2017 में COTPA Act -2003 की धारा 4 के अन्तर्गत किये गए हैं।

क्रम सं. 2 व 3 में मांगी गई सूचना शून्य है।

क्रम सं.4 के सन्दर्भ में वर्ष 2017 में COTPA Act -2003 के अन्तर्गत थाना धर्मशाला द्वारा 43,520/- रुपये, थाना मैक्लोडगंज द्वारा 59,500/-, थाना शाहपुर द्वारा 30,290/- रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। COTPA Act में किये गए चालानों पर प्राप्त जुर्माना की राशि के रिकार्ड की छायाप्रति के 63 पृष्ठ उपलब्ध हैं।

क्रम सं. 5 में मांगी गई सूचना विषय से सम्वन्धित नहीं है। इस सूचना के लिये अलग से आवेदन करें।

अतः आप द्वारा वांछित सूचना के 63 पृष्ठ की प्रतिलिपियों का शूल्क 126/- रु बनता है। आप इस कार्यालय को 126/-**रुपये के आई.पी.ओ., बैंक ड्राफ्ट या ट्रेजरी चालान** द्वारा जमा करवा कर इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में उक्त सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उक्त **सूचना पंजीकृत** डाक द्वारा लेना चाहते हैं तो आप सूचना प्राप्त करने की (अतिरिक्त फीस) डाक खर्च रु 36/- अनुमानित (यानि कुल 126+36=162/-रु) आई.पी.ओ., बैंक ड्राफ्ट या ट्रेजरी चालान के रुप में प्रेषित कर दें।

आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र में वर्ष 2014 से आज तक की सूचना मांगी गई है जबकि हिमाचल प्रदेश सूचना के अधिकार नियम-2006 की धारा 3(2) के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र पर एक वर्ष व एक ही विषय पर सूचना उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान है। अतः आप हिमाचल प्रदेश सूचना के अधिकार नियम-2006 के उपवन्धों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न विषयों व वर्षों के लिये अलग-अलग आवेदन पत्र देकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

यदि उद्गृहित फीस की राशि से आपका समाधान नहीं होता है तो आपको 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलिय अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कांगड़ा स्थित धर्मशाला के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

(विजय सकलानी)
जन सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
कांगड़ा स्थित धर्मशाला
दूरभाष नं. 01892-228746

पृष्ठांकन संख्या 347/RTI/17-____________/ दिनांक-____________/

प्रतिलिपिः- Public Information Officer-cum-Superintendent, Gd-I, Police Headquarters, HP Shimla-2 को इनके पत्र सं. **P-III-5(09)RTI-Sushil Kambampati/2017-24824-36 Dated 07.09.2017** के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

जन सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
कांगड़ा स्थित धर्मशाला